बिहार सरकार
गृह विभाग।

अधिसूचना

संख्या..............................दिनांक..................................भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य अवस्थित काराओं में सहायक कारापाल के पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–**

   (1) यह नियमावली बिहार सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।** – जब तक कोई बात संदर्भ में विरूद्ध न हो, इस नियमावली में–

(i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) "सरकार के आदेश" से अभिप्रेत है भारत संविधान के अनुच्छेद 166 के अधीन बनायी गयी कार्यपालिका नियमावली में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पारित कार्यपालक आदेश;

(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक, बिहार;

(iv) "नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक, बिहार;

(v) "विभाग" से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट गृह विभाग;

(vi) "कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग" से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग;

(vii) "कारा निरीक्षणालय" से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार;

(viii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(ix) "सहायक कारापाल" से अभिप्रेत है,बिहार की काराओं में सहायक कारापाल मंजूर एवं सृजित पद तथा

(x) "प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति" से अभिप्रेत है मुख्य उच्च कक्षपाल पद से सरकार द्व समय–समय पर विनिश्चित प्रतिशत के आधार पर एवं इस नियामवली यथास्थान उल्लिखित प्रोन्नति द्वारा की गई नियुक्ति।

3. **संवर्ग का गठन।** – इस संवर्ग में प्रत्येक सोपान के पदों की संख्या तथ उनकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा मंजूर/विनिश्चित की ग हो तथा भविष्य में सरकार द्वारा समय–समय पर मंजूर अथवा अधिसूचित की जाय।

4. **आरक्षण।** – बिहार राज्य आरक्षण अधिनियम के समय–समय पर यथा लागू प्रावधान इन सभी भर्ती एवं प्रोन्नति पर प्रभावी होंगे।

5 **भर्ती।** –

(i) राज्य अवस्थित काराओं में "सहायक कारापाल" के पद पर नियुक्ति की जायगी।

(ii) कुल पदबल के विरूद्ध 50 प्रतिशत पद पर सीधी भर्ती द्वारा 30 प्रतिशत पद पर पूर्व सैनिकों से भर्ती द्वारा एवं 20 प्रतिशत पद पर मुख्य उच्च कक्षपाल की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

6. **अर्हता।** –

(क) **<u>शैक्षणिक अर्हता</u>**– स्नातक उतीर्ण, जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो (सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति, दोनों के लिये)

(ख) **<u>आयु</u>**:– सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा निम्नवत् अथवा समय–समय पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय, होगी:–

(क) सामान्य कोटि – 20 से 35 वर्ष

(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 20 से 37 वर्ष

(ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग– 20 से 38 वर्ष

(घ) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति – 20 से 40 वर्ष

(212)

7. **नियुक्ति के आधार एवं पद्धति** – सहायक कारापाल के पद पर नियुक्ति के तीन स्त्रोत होंगे:–

1. आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती;
2. पूर्व सैनिकों से नियुक्ति;
3. मुख्य उच्च कक्षपाल पद से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति।

(i) 50 प्रतिशत पदो पर सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से की जायेगी।

(ii) 30 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति पूर्व सैनिकों से की जायेगी।

(iii) 20 प्रतिशत पदों पर राज्य के विभिन्न स्तर के काराओं में मुख्य उच्च कक्षपाल पद पर कार्यरत कार्मिकों की सूची से सेवा इतिहास, चिकित्सा परीक्षण एवं वरीयता क्रम के आधार पर की जायेगी।

स्पष्टीकरण:–यदि कंडिका "(ii)" में वर्णित पूर्व सैनिकों निर्धारित 30 प्रतिशत पदों में से निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी किसी पंचांग वर्ष में नहीं मिलते हैं तो उन पदों को कंडिका "(i)" के अनुसार सीधी भर्ती से उस पंचाँग (कैलेंडर) वर्ष में भरा जा सकेगा।

1. आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती–

(i) सहायक कारापाल के राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर मंजूर एवं सृजित पदों में से 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे। इन पदों पर सीधी भर्ती आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी। आयोग कारा निरीक्षणालय से रिक्तियों से संबंधित सूचना प्राप्त होने के उपरांत विहित प्रक्रियानुसार एक विज्ञापन प्रकाशित करेगा।

(ii) **सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया**–सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों में होगी:–

(क) प्रथम चरण–सर्वप्रथम लिखित परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी।

(ख) द्वितीय चरण– शारीरिक योग्यता जाँच, विहित प्रावधानों के अधीन गठित बोर्ड द्वारा की जायेगी।

(ग) तृतीय चरण– चिकित्सा परीक्षण– कारा महानिरीक्षक द्वारा निदेशित किसी चिकित्सा संस्थान या उनके द्वारा गठित चिकित्सा दल द्वारा की जायेगी। चिकित्सा दल में एक महिला चिकित्सक का रहना अनिवार्य होगा।

अंतिम रूप से चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक योग्यता जाँच एवं चिकित्सा परीक्षण के आधार पर किया जायेगा।

सीधी भर्ती, शारीरिक योग्यता जाँच एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट–'क' के रूप में संलग्न है।

(iii) संसूचित रिक्तियों के कोटिवार पाँच गुणा अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा शारीरिक योग्यता जाँच हेतु तैयार की जायेगी। शारीरिक योग्यता जाँच निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित एक बोर्ड द्वारा ली जायेगीः–

(i)	कारा महानिरीक्षक	अध्यक्ष
(ii)	गृह विभाग के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून पंक्ति)	सदस्य
(iii)	निदेशक (प्रशासन), कारा महानिरीक्षणालय	सदस्य
(iv)	गृह विभाग के द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	सदस्य

शारीरिक योग्यता जाँच के मानक परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

(iv) शारीरिक योग्यता जाँच मात्र योग्यता प्रदायी (क्वालिफाईंग) होगी तथा शारीरिक योग्यता जाँच में सफल होने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा की मेधा सूची के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जायेगा।

(v) यदि रिक्तियों के पाँच गुणा अभ्यर्थियों की सूची में से रिक्तियों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थी शारीरिक योग्यता जाँच अथवा चिकित्सा परीक्षण में सफल नहीं होते हैं तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पुनः शेष रिक्तियों के पाँच गुणा उम्मीदवारों की सूची बनायी जायेगी तथा उपरोक्त प्रक्रिया पुनः अपनायी जायेगी।

(vi) चिकित्सा परीक्षण– शारीरिक योग्यता जाँच में अर्हताप्राप्त अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण के अध्यधीन होंगे। उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन परिशिष्ट 'क' में दिये गये मानकों के अनुसार किया जायेगा एवं अभ्यर्थियों के स्वस्थ होने पर ही नियुक्ति की जायेगी।

नियुक्ति प्राधिकार को चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, आयोग द्वारा अनुशंसित सूची के किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को मंजूर या नामंजूर करने की अधिकारिता होगी।

(210)

2. पूर्व सैनिकों से नियुक्ति।

(i) 30 % पदों पर नियुक्ति सेना से सेवा निवृत कर्मियों से आवेदन आमंत्रित करके की जायेगी।

(ii) सेना के सेवा निवृत जुनियर कमिशन्ड ऑफिसर्स/नन कमिशन्ड ऑफिसर्स में से नियुक्ति की जायेगी।

(iii) इस श्रेणी से नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(iv) पूर्व सैनिकों से नियुक्ति हेतु आवेदन कारा निरीक्षणालय द्वारा विज्ञापन देकर मांगे जायेंगे। प्राप्त आवेदनों की विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार छानबीन एवं छटाई करते हुये उनकी संख्या के आधार पर लिखित परीक्षा यदि, आवश्यक हुई तो, आवश्यकतानुसार कारा महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित कर आयोजित की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण किया जायेगा तथा स्वस्थ होने पर हीं नियुक्ति की जायेगी।

3. मुख्य उच्च कक्षपाल पद से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति।

(i) 20 % पदों पर नियुक्ति मुख्य उच्च कक्षपाल के पद पर कार्यरत कार्मिकों में से सेवा इतिहास, चिकित्सा परीक्षण एवं वरीयता के आधार पर की जायेगी।

(ii) मुख्य उच्च कक्षपाल के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक उतीर्ण होगी।

(iii) बिहार आरक्षण अधिनियम के समय–समय पर लागू प्रावधान प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर लागू होंगे और इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को हीं देय होगा।

8. **परिवीक्षा अवधि।** – इस पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से नवनियुक्त कर्मियों के लिये परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। वर्द्धित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा से हटाया जा सकेगा।

9. **<u>सम्पुष्टि।</u>** – परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद होने एवं विभागीय परीक्षा में सफल होने के उपरांत कारा महानिरीक्षक द्वारा सेवा संपुष्ट की जायेगी।

10. **<u>वेतनमान।</u>** – राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित संवर्ग के लिए विहित वेतनमान एवं तदनुसार अन्य भत्ते अनुमान्य होंगे।

11. **<u>वरीयता।</u>**– (1) वरीयता आयोग द्वारा निर्गत मेधा सूची के आधार पर निश्चित की जायेगी।

(2) प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक कारापाल की वरीयता कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विहित किये गये प्रावधानों के अनुसार निश्चित की जायेगी।

12. **<u>संवर्ग की प्रास्थिति।</u>**– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत वर्गीकरण के अनुसार यह संवर्ग समूह 'ग' या अन्यथा का होगा। यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

13. **<u>अनुशासन, अपील एवं शास्तियाँ।</u>**– इस संवर्ग के सभी सदस्यों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधान लागू होंगे।

14. **<u>निरसन एवं व्यावृति।</u>**–

(1)इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व सहायक कारापाल संवर्ग एवं पद हेतु अधिसूचित एवं लागू सभी नियम/संकल्प/परिपत्र/आदेश निरसित समझे जायेंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमों, संकल्पों/परिपत्रों/आदेशों के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया था की गई समझी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवर्तन में थी जब वैसा कार्य किया गया था या कार्रवाई की गई थी।

15. **कठिनाईयों को हटाया जानाः–**

इस नियमावली के किसी भी प्रावधान या नियम को लागू करने के संबंध में उद्भूत कठिनाई को हटाने की शक्ति सरकार के अनुमोदन से कारा निरीक्षणालय को होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सचिव,
गृह विभाग, बिहार।

ज्ञापांक 3731 पटना, दिनांक 20-8-10 /

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें।

सचिव,
गृह विभाग, बिहार।

ज्ञापांक 3731 पटना, दिनांक 20-8-10 /

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव,
गृह विभाग, बिहार।

ज्ञापांक 3731 पटना, दिनांक 20-8-10 /

प्रतिलिपिः–सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
गृह विभाग, बिहार।

ज्ञापांक 3731 पटना, दिनांक 20-8-10 /

प्रतिलिपिः–कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उप कारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.8.10
सचिव,
गृह विभाग, बिहार।

C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\Sanlekh-.doc

(207)

परिशिष्ट 'क'

कारापाल एवं सहायक कारापाल हेतु आयोग एक संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें रिक्तियों के अनुपात में योग्यता क्रम एवं उम्मीदवार के पद विशेष हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार दो पृथक–पृथक सूचियाँ निर्मित की जायेंगी। योग्यता क्रम में सबसे उपर रहे उम्मीदवारों को कारापाल के पद हेतु निर्मित अनुशंसा सूची में रखा जायेगा एवं उससे निचले योग्यता क्रम के उम्मीदवारों को सहायक कारापाल के पद हेतु निर्मित अनुशंसा सूची में रखा जायेगा।

आयोग उम्मीदवारों के विकल्प के आधार पर हीं उनकी सम्मिलित परीक्षा लेते हुए भी अभ्यर्थिता के आधार पर आरक्षणवार शारीरिक योग्यता परीक्षा हेतु गठित बोर्ड को प्रेषित की जाने वाली पृथक सूची तैयार करेगा।

(क) लिखित परीक्षाः–

(i) लिखित परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी।

(ii) प्रश्न पत्र द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा।

(iii) प्रश्न पत्र की संख्या तीन होगी।

- (i) प्रथम प्रश्न पत्र– इसमें दो खंड होंगे अर्थात अंग्रेजी और गणित। यह प्रश्न पत्र अनिवार्य एवं इसका स्तर मैट्रिक स्तरीय होगा तथा प्रश्नों की संख्या स्वरूप एवं समयावधि आयोग द्वारा निश्चित की जायेगी।
- (ii) द्वितीय प्रश्न पत्र– इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसका स्तर स्नातक स्तर का होगा।
- (iii) तृतीय प्रश्न पत्र– यह प्रश्न पत्र वैकल्पिक होगा जिसमें समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान दोनों विषयों में आयोग परीक्षा लेगा। उक्त दोनों विषयों में से उम्मीदवार कोई एक विषय तृतीय प्रश्न पत्र के रूप में रख सकेगा। विकल्प का उल्लेख आवेदन में आवेदक द्वारा कर दिया जायेगा।
- (iv) प्रश्नों की संख्या, स्वरूप एवं समयावधि आयोग द्वारा निश्चित की जायेगी।
- (v) आयोग लिखित परीक्षा के आधार पर संसूचित रिक्तियों के कोटिवार पांच गुणा अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर शारीरिक मापदंड जांच हेतु कारा महानिरीक्षक, बिहार को भेजेगा।

(ख) शारीरिक योग्यता :–

1. आयोग द्वारा रिक्तियों के विरूद्ध कोटिवार अनुशंसित उम्मीदवारों के शारीरिक योग्यता की परीक्षा बोर्ड द्वारा ली जायेगी । उम्मीदवारों के लिए नीचे संक्षिप्त रूप में दिये गये विहित शारीरिक मानकों के अनुसार स्वस्थ होना आवश्यक हैः–

2. <u>बोर्ड के समक्ष शारीरिक योग्यता जाँच के मानक:–</u>

(1) उम्मीदवार को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(2) उनमें कमजोर शारीरिक गठन, दैहिक दोष की स्थूलता नहीं होनी चाहिए और

घुटने जुड़ना– नॉकिंग नी एवं
चपटे तलवे– फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए।

(3) पुरूषों का कद कम कम से कम 173 सेमी. हो। महिलाओं का कद कम कम से कम 156 सें.मी. हो। कद और वजन के मानक नीचे दिये जाते है :

कद और वजन के मानक (पुरूष)

सेंटीमीटर में कद (बिना जूता)	किलोग्राम में वजन 20 वर्ष एवं उससे उपर
173	60
175	62
178	63
180	65
183	67
185	70
188	72
190	74
193	77
195	78

स्पष्टीकरण:–सारणी में दिए गए औसत बजन का $\pm$ 10 प्रतिशत वजन सामान्य सीमा के अंदर माना जाएगा. किन्तु भारी हड्डियों वाले लंबे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले देहयष्टि पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें छूट दी जा सकती है.

कद और वजन के मानक (महिला)

सेंटीमीटर में कद (बिना जूता)	किलोग्राम में वजन 20 वर्ष एवं उससे उपर
155	46
158	48
160	49
163	51
165	53
168	54

स्पष्टीकरण:–सारणी में दिए गए औसत बजन का $\pm$ 10 प्रतिशत वजन सामान्य सीमा के अंदर माना जाएगा. किन्तु भारी हड्डियों वाले लंबे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले देहयष्टि पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें छूट दी जा सकती है.

(4) उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि शारीरिक योग्यता जाँच हेतु रिपोर्ट करने से पहले कान की मैल, ऑखों के अपवर्तन दोष, त्वचा आदि के कवकी संक्रमण के लिए प्रारंभिक चिकित्सा जॉच अपने स्तर से करवा लें.

(5) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए तथा न्यूनतम माप 80 से.मी. होनी चाहिए। पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फुलाव 5 सेंमी होना चाहिए. माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए.

(6) दौड़	–	6 मिनट में 1600 मीटर–पुरूष
	–	5 मिनट में 800 मीटर–महिला
(7) ऊँचाई कूद	–	6'4'' (तीन अवसर दिये जायेंगे)–पुरूष
	–	4' (तीन अवसर दिये जायेंगे)–महिला
(8) लम्बी कूद	–	11' (तीन अवसर दिये जायेंगे)–पुरूष
	–	6' (तीन अवसर दिये जायेंगे)–महिला
(9) बीम	–	5 पुल अप (तीन अवसर दिये जायेंगे)– केवल पुरूषों के लिये।

(10) गोला फेंक 15 पौंड– 16 फुट (तीन अवसर दिये जायेंगे)– केवल पुरूषों के लिये।

शारीरिक योग्यता जाँच मात्र योग्यता प्रदायी (क्वालिफाईंग) होगी।

(ग) चिकित्सा परीक्षणः–

1. **सीधी भर्ती हेतु**– बोर्ड द्वारा शारीरिक योग्यता के जॉचोपरांत योग्यता प्राप्त (क्वालिफाई) अनुशंसित उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण करायेगा, केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयनित किया जायेगा जो कि चिकित्सा बोर्ड या चिकित्सा दल द्वारा चिकित्सा परीक्षण के उपरांत स्वस्थ्य घोषित कर दिये जाते हैं। जो उम्मीदवार शारीरिक योग्यता परीक्षा में बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित कर जायेंगे उन्हें चिकित्सा परीक्षण हेतु न तो बुलाया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए नीचे संक्षिप्त रूप में दिये गये विहित शारीरिक मानकों के अनुसार स्वस्थ होना आवश्यक होगा।

(1) शरीर में हड्डियों और जोड़ो का कोई रोग नही होना चाहिए.

(2) उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्ववृत नहीं होना चाहिए.

(3) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके. उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 6'10'' से.मी. की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके, कर्ण नासिका कंठ की पिछली या अब की बीमारी का कोई प्रमाण न हो.

(4) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए. रक्त दाब सामान्य हो और उम्मीदवार AIDS मुक्त हो.

(5) उदरपेशियां सुविकसित हों तथा जिगर या तिल्ली बढ़ी हुई न हो. उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.